न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
25/2024	09.07.2024	05-1-2026

काडू पुत्र बजरंगा, मीना निवासी बाढ रामसर तह0 तलावडा —प्रार्थी

वनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीके पिता वजरंगा पुत्र रामचंद की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 108 ग्राम हीरापुर तह0 तलावडा मे स्थित है। जिसे प्रार्थी के पिता बजरंगा पुत्र रामचंद तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी व प्रार्थी के पिता बजरंगा पुत्र रामचंद तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी व प्रार्थी के भाई उक्त कृषि भूमि को कब्जा काश्त कर उससे पैदा होने वाली उपज से लाभान्वित होते चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता बजरंगा की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी बजरंगा का वैध वारिस है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बजरंगा पुत्र रामचंद के स्थान पर बंशी पुत्र रामचंद दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बजरंगा पुत्र रामचंद है। बंशी पुत्र रामचंद के नाम का गॉव मे अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी के पिता बजरंगा पुत्र रामचंद के नाम से अन्य कृषि भूमि खाता संख्या 15 ग्राम बाढ रामसर तहसील तलावडा मे बजरंगा पुत्र रामचंद की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी के नाम नामान्तकरण खुल चुका है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज मे आधार कार्ड वगैरा मे प्रार्थी के पिता का सही नाम बजरंगा ही चला आ रहा है। प्रार्थी अपने पिता का गलत नाम बंशी पुत्र रामचंद के स्थान पर बजरंगा पुत्र रामचंद शुद्ध करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 108 ग्राम हीरापुर की जमाबंदी मे प्रार्थी के पिता का गलत नाम बंशी पुत्र रामचंद के स्थान पर बजरंगा पुत्र रामचंद दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2070—73 खाता संख्या 108 ग्राम हीरापुर, फोटोकॉपी भूप्रबन्ध विभाग संवत 2039 खाता संख्या 31 ग्राम बाढ रामसर, फोटोकॉपी सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2070, फोटोकोपी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र काडू पुत्र बजरंगा प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/1775 दिनांक 27.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का तलावडा की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:31:40 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता के नाम में वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी ग्राम हीरापुर के खाता संख्या 108 मे खातेदार बंशी पुत्र रामचंद निवासी ग्राम बाढ रामसर के नाम से रिकॉर्ड मे अंकित है। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 11.08.2025 तथा उत्तराधिकारियों द्वारा पेश जमाबंदी खाता संख्या 14, 15 ग्राम बाढसर के आधर पर बंशी पुत्र रामचंद तथा बजरंगा पुत्र रामचंद एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी का सही नाम बजरंगा है। खातेदार बंशी पुत्र रामचंद फौत हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 108 खसरा नम्बर 820 रकबा 0.60 है0, ख0न0 962 रकबा 0.27 है0, ख0न0 963 रकबा 0.18 है0 ग्राम हीरापुर में दर्ज नाम बंशी पुत्र रामचंद के स्थान पर बजरंगा पुत्र रामचंद दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-1-26 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते